भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5534

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

अ.जा./अ.ज.जा. और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय

5534. एडवोकेट चन्द्र शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषकर देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है ;

(ख) उक्त समुदायों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विगत तीन वर्षों में उक्त समुदायों के कुल कितने लोगों को इन योजनाओं से लाभ मिला है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सरकार ने नागरिकों जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य सीमांत समुदाय भी हैं, के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कई पहल की हैं ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी ताकि एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन समाविष्ट समाज के कमजोर वर्गों जिनके अंतर्गत फायदाग्राही भी है,को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह अधिनियम उपबंध करता है कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है।

विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य सीमांत समुदायों के लोगों की संख्या के ब्यौरे हैं; 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) निम्नानुसार हैं: -

वर्ष	एससी	एसटी	* अन्य सीमांत समुदाय	कुल
2022-23	93,796	78,556	10,42,417	12,14,769
2023-24	1,07,673	1,00,823	13,41,668	15,50,164

2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	89,351	86,824	10,03,625	11,79,800

*सीमांत समुदायों में महिलाएं, बच्चे, अभिरक्षा में लिए लोग, नि:शक्त व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, उभयलिंगी, मानव तस्करी के पीड़ित या भिखारी, सामूहिक आपदा हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित, साधारण जिनकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है, और अन्य शामिल हैं|

इसके अतिरिक्त, सरकार "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामक स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य मुकदमा-पूर्व सलाह और अन्य सेवाओं की आसान, सुलभ, वहनीय और नागरिक-केन्द्रित परिदान करना है। इस स्कीम के अधीन, तीन कार्यक्रम हैं,अर्थात्: क) टेली-लॉ जो नागरिकों को पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" और टोल-फ्री नंबर के माध्यम से वकीलों से जोड़ता है (ख) न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों को न्यायालयों में निःशुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और (ग) विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने का अधिकार दिया जाता है टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, 31 मार्च 2025 तक 1,10,38,557 फायदाग्राहियों को समाविष्ट किया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सीमांत समुदायों (ओबीसी) के लोगों की संख्या, जिनको विगत तीन वर्ष में टेली-लॉ कार्यक्रम से लाभान्वित किया है, निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**कुल**
2022-23	6,48,403	3.10,718	5,38,204	14,97,325
2023-24	13,79,780	4,70,347	14,27,018	19,97,145
2024-25 (मार्च 2025 तक)	9,46,570	4,07,388	10,02,382	14,54,190

न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) के संबंध में प्रवर्ग-वार डाटा नहीं रखे जाते हैं।

****